

मध्यप्रदेश विधान सभा



सितम्बर, 2022 सत्र
दैनिक कार्य सूची
बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 (भाद्र 23, 1944)
समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे :-

- (क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022),
- (ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022),
- (ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022), तथा
- (घ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री बिसाहलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री**, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

- (क) क्रमांक एफ 5-4/2020/उनतीस-2, दिनांक 17 अगस्त, 2021,
- (ख) क्रमांक एफ 5-4/2020/29-दो, दिनांक 23 अगस्त, 2021, तथा
- (ग) क्रमांक एफ 5-4/2020/29-2, दिनांक 23 अगस्त, 2021

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 433 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

- (क) क्रमांक 395-एफ-1-246-2020-अठारह-3, दिनांक 06 नवम्बर, 2020,
- (ख) क्रमांक 394-एफ-1-250-2020-अठारह-3, दिनांक 06 नवम्बर, 2020,
- (ग) क्रमांक 21-एफ-32-2017-18-3, दिनांक 09 जुलाई, 2018,
- (घ) क्रमांक 44-एफ-4-44-2018-18-1, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018,
- (ङ) क्रमांक 17 एफ-1-16-2021-अठारह-3, दिनांक 31 अगस्त, 2021, एवं
- (च) क्रमांक 01 एफ-1-15-2021-अठारह (3), दिनांक 13 जनवरी, 2022

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ. 2-3/2022/सात/शा.7, दिनांक 19 मई, 2022, तथा

(ख) क्रमांक एफ. 2-6-2021-सात-शा-7, दिनांक 10 अगस्त, 2022

पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(5) **डॉ. प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री**, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) शहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ख) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ग) बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(घ) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ङ) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(च) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-2021

पटल पर रखेंगे.

(8) **डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री**, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(9) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के अन्तर्गत बनाये गये नियम की धारा 22 एवं 23 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

पटल पर रखेंगे.

(10) **श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(11) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

4. मार्च, 2022 सत्र की स्थगित बैठकों, दिनांक 17, 21, 23, 24 एवं 25 मार्च, 2022, की

प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का

संकलन खण्ड- 10 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य**, सतना कृषि उपजमंडी में गबन के आरोपियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **सर्वश्री तरूण भनोत, विनय सक्सेना, सदस्य**, जबलपुर स्थित निजी अस्पताल में अग्निकांड से कई लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26-पिछोर से निर्वाचित सदस्य, श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 105-बिछिया (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण सिंह पट्टा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 136-सिवनी-मालवा से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 137-होशंगाबाद (नर्मदापुरम) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. सीतासरन शर्मा को विधान सभा के सितम्बर, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति**, आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का आवेदनों से संबंधित पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां एवं अठारहवां प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) **श्री रामपाल सिंह, सभापति**, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) **श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सभापति**, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सत्ताईस से तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) **श्री जालम सिंह पटेल, सभापति**, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) **श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति**, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अष्टम एवं नवम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(6) **श्री अजय विश्वादी, सभापति**, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(7) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति**, कृषि विकास समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

10. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य**, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र. 60 में हुरावली तिराहे से सिरोल हाईवे तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) **श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य**, भोपाल शहर की रीगल होम्स कालोनी, अवधपुरी खजूरीकलां में सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य**, नर्मदापुरम जिले के मिनाक्षी चौक से रसूलिया रेल्वे फाटक तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने,

(4) **श्री सुरेश राजे, सदस्य**, ग्वालियर जिले के ग्राम सर्वा मेन रोड से समचौली तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री निलय विनोद डागा, सदस्य**, बैतूल जिले के बोडना से बघवाड मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(6) **श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य**, उज्जैन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बिरला ग्राम से उज्जैन-जावरा मार्ग को जोड़ने वाली रिंग रोड पर रेल्वे फाटक नं. 02 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाये जाने, के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

11. वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 13 सितम्बर, 2022.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.